राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान,रायबरेली

ट्रांजिट कैम्पस : लखनऊ

स्वतः सूचना प्रकटीकरण । आर.टी. आई. नियमावली

(29.08.2024 तक अद्यतित)

परिचय:

प्रत्येक सार्वजिनक प्राधिकरण के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने और नागरिकों को प्रत्येक सार्वजिनक प्राधिकरण के नियंत्रण में सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सशक्त बनाने के लिए, भारत सरकार ने एक अधिनियम, अर्थात्, "सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005" (आर.टी.आई. अधिनियम) लाया है, जो 15.6.2005 को लागू हुआ। इस अधिनियम की धारा 4(I)(बी) के प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, रायबरेली(नाईपर-आर) ट्रांजिट कैम्पस, लखनऊ के हितधारकों और आम जनता की जानकारी और मार्गदर्शन के लिए यह पुस्तिका प्रकाशित की गई है।

इस पुस्तिका का उद्देश्य आम जनता को नाईपर-आर लखनऊ के संगठनात्मक ढांचे, इसके कार्यों और कर्तव्यों, नाईपर-आर लखनऊ में उपलब्ध अभिलेखों और दस्तावेजों आदि के बारे में जानकारी देना है। यह पुस्तिका आम जनता और नाईपर-आर लखनऊ द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं और योजनाओं, परियोजनाओं और कार्यक्रमों के उपयोगकर्ताओं के लिए है।

नाईपर-आर लखनऊ की वेबसाइट (https://www.niperraebareli.edu.in/), जिसका यह पुस्तिका एक हिस्सा है, नाईपर-रायबरेली की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में आम जनता को जानकारी प्रदान करता है। इसके अलावा, संस्थान की गतिविधियों के बारे में जानकारी इसकी वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। वर्ष 2022-23 के लिए यह दस्तावेज़ इस वेबसाइट के हिस्से के रूप में आम जनता के लिए उपलब्ध है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना संख्या 34012/8(एस)/2005-स्था.(बी) दिनांक 16 सितंबर 2005 के अनुसार, इस पुस्तिका में उपलब्ध न होने वाली जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया और शुल्क संरचना निम्नानुसार होगी:

- (क) आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध संबंधित सी.पी.आई.ओ. को व्यक्तिगत रूप से या डाक द्वारा किया जाएगा, जिसके साथ 10 रुपए का आवेदन शुल्क नकद उचित रसीद के आधार पर या डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक जो कि नाईपर रायबरेली के नाम से लखनऊ में देय पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा।
- (ख) धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन सूचना उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध उपर्युक्त (क) के अनुसार किया जाएगा और शुल्क उचित रसीद के आधार पर नकद या नाईपर-रायबरेली को देय डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक या पोस्टल ऑर्डर द्वारा लखनऊ में निम्नलिखित दरों पर लिया जाएगा
 - (क)निर्मित या प्रतिलिपि किये गये प्रत्येक पृष्ठ (ए-4 या ए-3 आकार के कागज़ में) के लिए दो रुपये;

- (ख) बड़े आकार के कागज़ में एक प्रति का वास्तविक प्रभार या लागत मूल्य;
- (ग) नमूनों या मॉडलों के लिए वास्तविक लागत या मूल्य; तथा
- (घ) अभिलेखों के निरीक्षण के लिए प्रथम घंटे के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा; तथा उसके बाद प्रत्येक पन्द्रह मिनट (या उसके अंश) के लिए पांच रुपये का शुल्क लगेगा।
- (ग) आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (5) के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध उपर्युक्त (क) के अनुसार किया जाएगा और शुल्क उचित रसीद के आधार पर नकद या नाईपर रायबरेली के नाम से लखनऊ में देय डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक या पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से निम्नलिखित दरों पर लिया जाएगा:
 - (क) डिस्केट या फ्लॉपी में दी गई सूचना के लिए, रु. 50/- (पचास) प्रति डिस्केट या फ्लॉपी की दर से; तथा
 - (ख) ऐसे प्रकाशन के लिए निर्धारित मूल्य पर मुद्रित रूप में उपलब्ध कराई गई सूचना के लिए अथवा प्रकाशन से अंशों की फोटोकॉपी के लिए 2 (दो) रुपये प्रति पृष्ठ।

आर.टी.आई. अधिनियम 2005 के तहत सूचना के लिए आवेदन प्रारूप

क्रमांक।	प्रकटीकरण का विवरण	संगठन की जानकारी
1	संगठन और कार्य	
1.1	इसके संगठन, कार्यों और कर्तव्यों का विवरण [धारा 4(1)(बी)(i)]	
1.1.1	संगठन का नाम और पता	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाईपर), रायबरेली, ट्रांजिट कैम्पसः बिजनौर-सिसेंडी रोड, सीआरपीएफ बेस कैंप के पास, सरोजिनी नगर, लखनऊ https://www.niperraebareli.edu.in)
		नाईपर रायबरेली वर्ष 2008 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित एक स्वायत संस्थान है, जो भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग के अंतर्गत देश भर के 7 नाईपर में सबसे नवीन नाईपर है।
1.1.2	संगठन का प्रमुख	प्रोफेसर शुभिनी ए सराफ, निदेशक (<u>https://niperraebareli.edu.in/DM.html</u>)
1.1.3	विजन, मिशन और प्रमुख उद्देश्य	दृष्टिः औषि विज्ञान में उच्च शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में अग्रणी संस्थान के रूप में कार्य करना। उद्देश्यः संस्थान के मुख्य उद्देश्य हैंः • रचनात्मकता, प्रेरणा, उत्साह में वृद्धि और व्यावसायिकता का विकास।

1.2	इसके अधिकारियों एवं कर्मचारिय अधिकारियों की शक्तियां और कर्तव्य (प्रशासनिक, वित्तीय और	अधिका	रियों एवं अन्य कर्मचारिय	विनियामक विष विज्ञान जैव प्रौद्योगिकी 1)(बी)(ii)]
	<u>, </u>	5. यों की शवि	डॉ. निधि श्रीवास्तव क्तियां एवं कर्तव्य [धारा 4(१	विनियामक विष विज्ञान जैव प्रौद्योगिकी 1)(बी)(ii)]
1.2	दमके भशिकारियों एवं कर्यनारिय	5.	डॉ. निधि श्रीवास्तव	विनियामक विष विज्ञान जैव प्रौद्योगिकी
				विनियामक विष विज्ञान
		4.	डॉ. रविन्द्र के. कौंडल	
			<u> </u>	जा विविध्याना जार विविध्यान
		3.	डॉ. राकेश कुमार	औषध विज्ञान और विष विज्ञान
		2.	डॉ. संजय तिवारी	औषध बनाने की विद्या
		1.	डॉ. संदीप चौधरी	औषधीय रसायन शास्त्र
		क्र. सं.	नाम	विभाग का नाम
		स्थापना व	के बाद से नाईपर-आरके विभाग	ाध्यक्ष का नाम:
		5. जैव	प्रौद्योगिकी	
	बारे में भी बताया गया है।	4. विनि	नेयामक विष विज्ञान	
	गठित समितियों/आयोगों के		ध विज्ञान और विष विज्ञा	न
	के साथ-साथ समय-समय पर	_	ध बनाने की विद्या	
	समय-समय पर विभागाध्यक्षीं		धीय रसायन शास्त्र	•
	उत्पत्ति, स्थापना, गठन तथा			ा से संबंधित पाँच विभाग हैं:
1.1.0	अन्य विवरण - विभाग की		की उत्पत्ति, स्थापना, गर ww.niperraebareli.edu.in).	ठन का विवरण ऊपर 1.1.1 में दिया गया है।
1.1.6				/RTI/Organogram NIPERR.png
1.1.5	संगठन चार्ट	यह नाई	पर रायबरेली वेबसाइट पर	र उपलब्ध है
1.1.4	कार्य और कर्तव्य		नाईपर अधिनियम और क़ा iperraebareli.edu.in/niperact.h	नून में परिभाषित किया गया है _{html)}
			आदि से परिचित कराना।	
			**	ीव विज्ञान और प्राकृतिक उत्पाद अनुसंधान
				ार्माकोजेनोमिक्स, टॉक्सिको जीनोमिक्स, जैव
				य तकनीकी क्षेत्रों जैसे कि औषधि डिजाइन
			करना।	आवश्यकता के अनुरूप पेशेवरों को तैयार
			•	प्तामना करने के लिए तैयार करना।
			•	नूचना प्रौद्योगिकी के बीच सहयोग को बढ़ाना
			5	योगिकी और उद्योग के बीच तालमेल लाना।
			ऐसे वातावरण के लिए प्रशि	

1.2.2	अन्य कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य	
1.2.3	नियम/आदेश जिसके तहत शक्तियां और कर्तव्य प्राप्त होते हैं और	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, रायबरेली (नाईपर-आर) के अधिकारियों की शक्तियां और कर्तव्य संस्थान के नाईपर अधिनयम और विधियों में निहित अनुदेशों के अनुसार प्राप्त, प्रयोग, आवंटित और शासित होते हैं। कार्यः https://niperraebareli.edu.in/niperact/niper act.pdf कान्नःhttps://niperraebareli.edu.in/niperact/statutes.pdf अधिनयम एवं संविधि संशोधन:https://niperraebareli.edu.in/niperact.html भर्ती नियम एवं विनियमन:https://niperraebareli.edu.in/niperact/Govt%20letter%20for%20Recruitment%20 Rules%20and%20Regulation.pdf स्वीकृत पदः https://niperraebareli.edu.in/niperact/Sanction%20Post%20for%20NIPER-R.pdf
1.2.4	प्रयोग	शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग किया जाता है, तथा कार्य का आवंटन ऊपर
1.2.5	कार्य आवंटन	1.2.1 और 1.2.2 के तहत दिए गए विवरण के अनुसार किया जाता है।
1.3	निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई	जाने वाली प्रक्रिया [धारा 4(1)(बी)(iii)]
1.3.1	निर्णय लेने की प्रक्रियाः प्रमुख	कर्तव्यों के निर्वहन और निर्णय लेने की प्रक्रिया में, किसी गतिविधि, योजना
	निर्णय बिंदुओं की पहचान करें	या कार्यक्रम से संबंधित पदानुक्रम का पालन किया जाता है और विचाराधीन मुद्दे के आधार पर शैक्षणिक मामलों के लिए विभागाध्यक्ष (एचओडी)/ डीन और प्रशासनिक मामलों के लिए रजिस्ट्रार के स्तर पर निर्णय लिए जाते हैं और अंतिम अनुमोदन संस्थान के निदेशक और/या बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान,रायबरेली (नाईपर-आर) अध्यक्ष द्वारा दिया जाता है। निर्णय लेने की प्रक्रिया और कार्यों के निर्वहन को सुविधाजनक बनाने के लिए, संस्थान स्तर पर विभिन्न समितियों का गठन किया गया है। (https://niperraebareli.edu.in/committees.html)
1.3.2	अंतिम निर्णय लेने वाला प्राधिकारी	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान,रायबरेली (नाईपर-आर) के निदेशक/अध्यक्ष, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस
1.3.3	संबंधित प्रावधान, अधिनियम, नियम आदि।	यह यहां उपलब्ध है (https://niperraebareli.edu.in/niperact/niper_act.pdf)
1.3.4	निर्णय लेने की समय सीमा, यदि कोई हो	इस प्रकार चार्टर में निर्णय लेने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। हालाँकि, संस्थान में कोई भी निर्णय लेने की समय सीमा कार्य/कार्य/शिकायत की प्रकृति के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय की

		जाती है। विभिन्न विभागों से प्राप्त नियमित पत्राचार आदि समयबद्ध
		प्रकृति के होते हैं और संस्थान द्वारा दिए गए समय सीमा के भीतर उनका
		निपटारा किया जाता है।
1.3.5	पर्यवेक्षण और जवाबदेही का	(1) पर्यवेक्षण का चैनल राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान
	चैनल	संस्थान,रायबरेली (नाईपर-आर) की संगठनात्मक संरचना के अनुसार है।
		(2) प्रत्येक कर्मचारी समय-समय पर प्राधिकारियों द्वारा सौंपे गए कर्तव्यों के
		प्रति जवाबदेह होता है।
1.4	कार्यों के निर्वहन के मानदंड [धारा	
1.4.1	प्रदान किये जाने वाले	
	कार्यों/सेवाओं की प्रकृति	(अधिनियम एवं क़ानून: https://niperraebareli.edu.in/niperact.html
	नगपा/राषाजा नग अनुगरा	नाईपर-आर फार्मास्य्टिकल साइंसेज से संबंधित निम्नलिखित पाठ्यक्रम
		संचालित करता है:
		1. एमएस (फार्मा.) 2. पीएचडी
		नाईपर रायबरेली के मुख्य फोकस क्षेत्र हैं:
		• शिक्षण ·
		• अनुसंधान
		• कंसल्टेंसी
		विस्तृत जानकारी के लिए कृपया यहां जाएं:
		(https://niperraebareli.edu.in/courses.html) (https://niperraebareli.edu.in/testfacility.html)
1.4.2	कार्यों/सेवा वितरण के लिए	समय-समय पर संशोधित नाईपर अधिनियम/संविधि/अध्यादेश के अनुसार
	 मानदंड/मानक	ये उपलब्ध हैं:
		https://niperraebareli.edu.in/niperact.html
1.4.3	बर एकिए जिसके बनास दन	कान और अन्य नावाकी राष्ट्रीय और्षकीय विषय गर्न अनुसंसन
	वह प्रक्रिया जिसके द्वारा इन	5
	सेवाओं तक पहुँच प्राप्त की जा	
	सकती है	सकते हैं।अधिक जानकारी नीचे दिए गए लिंक से प्राप्त की जा सकती है: http://cifniperr.org/indexlogin.php
1.4.4		
1.4.4	लक्ष्य प्राप्ति हेतु समय-सीमा	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान,रायबरेली (नाईपर-आर)
		द्वारा प्रत्येक वर्ष शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार लक्ष्य प्राप्त किए जाते हैं।
		शैक्षणिक कैलेण्डर संलग्न है:
		https://niperraebareli.edu.in/academiccalendar.html

1.4.5	शिकायतों के निवारण की	المعرب على المعرب المعر
	शिकायतों के निवारण की प्रिक्रया	शिकायतों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निवारण किया जाता है। सभी पीड़ित छात्र, कर्मचारी, संकाय और अन्य लोग संस्थान की शिकायत निवारण समिति और
	। प्राक्रया	
		अन्यथा CPGRAMS के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। https://pgportal.gov.in/
		integral paper tall go v.iiii
1.5	कार्यों के निर्वहन हेतु नियम, विनि	वयम, अनुदेश पुस्तिका एवं अभिलेख [धारा 4(1)(बी)(वी)]
1.5.1	रिकार्ड/मैनुअल/निर्देश का	अपने कार्यों के निर्वहन के लिए, संस्थान "अधिनियम, क़ानून और अध्यादेशों
	शीर्षक और प्रकृति।	और विभिन्न सरकारी दिशानिर्देशों का पालन करता है जो संस्थान की
1.5.2	नियमों, विनियमों, निर्देश	वेबसाइट और डीओपीटी, डीओई आदि वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं, नीचे दिए गए
	पुस्तिकाओं और अभिलेखों की	लिंक पर:
	सूची।	https://niperraebareli.edu.in/niperact.html
1.5.3	अधिनियम/नियम पुस्तिका	
	आदि।	https://niperraebareli.edu.in/niperact/statutes.pdf
		https://doe.gov.in/files/circulars_document/Flnal_GFR_upto_31_07_2024.pdf
1.5.4	स्थानांतरण नीति और	चूंकि राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अन्संधान संस्थान,रायबरेली (नाईपर-आर)
	स्थानांतरण आदेश	एक स्वायत निकाय है, इसलिए किसी भी शिक्षण/गैर-शिक्षण कर्मचारी का
		स्थानांतरण नहीं किया गया है। हालाँकि, आवश्यकता और आवश्यकता के
		अनुसार आंतरिक स्थानांतरण किए जाते हैं।
1.6	पाधिकरण दवारा भपने नियंत्रण	 में रखे गए दस्तावेजों की श्रेणियाँ [धारा 4(1)(बी)(vi)]
1.6.1	दस्तावेजों की श्रेणियाँ	कार्यालय में इसके कामकाज से संबंधित फाइलें और दस्तावेज, संदर्भ और
	प्रशायज्ञा यम जाराया	पत्राचार आदि मौजूद हैं। कार्यालय में निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध हैं:
		शैक्षणिक प्रभाग द्वाराः
		a) बीएससी एच एंड एचए और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के सभी सेमेस्टरों के
		लिए संस्थान दवारा आयोजित सभी मध्यावधि परीक्षाओं के परिणाम।
		b) द्वारा प्रस्तावित लघ् अवधि पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम और
		पाठ्य सामग्रीराष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अन्संधान संस्थान,रायबरेली
		(नाईपर-आर)
		c) छात्रों के प्लेसमेंट और औद्योगिक प्रशिक्षण रिकॉर्ड।
		71 -4 10 0 · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		a) छात्रा क आद्यागिक प्रांशक्षण आर अनुसंधान पारयाजनाए। e) वार्षिक पत्रिका "गॉरमेट्स अफेयर"
		(<i>७)</i> जारिक पार्यक शार्यक्त ज्ञानम्बर
		प्रशासनिक प्रभाग द्वाराः
L	I	<u> </u>

	T	
		a) वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षित लेखा विवरण।
		b) सभी कर्मचारियों का सेवा रिकार्ड।
		c) बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक का विवरण और उनके द्वारा लिए गए निर्णय
		(अनुरोध पर उपलब्ध)।
1.6.2	दस्तावेजों/श्रेणियों का संरक्षक	इन दस्तावेजों/श्रेणियों के संरक्षक संबंधित विभागाध्यक्ष/अनुभाग प्रभारी हैं।
1.7	सार्वजनिक प्राधिकरण के भाग के	रुप में गठित बोर्ड, परिषद, समितियां और अन्य निकाय [धारा 4(1)(बी)(viii)]
1.7.1	बोर्ड, परिषद, समिति आदि का	यह यहां उपलब्ध है:
	नाम	https://niperraebareli.edu.in/bog.html https://niperraebareli.edu.in/committees.html
1.7.2	संघटन	https://niperraebareli.edu.in/niperact.html
1.7.3	गठन की तिथियाँ	
1.7.4	अवधि/कार्यकाल	
1.7.5	शक्तियां और कार्य	
1.7.6	क्या उनकी बैठकें जनता के लिए	ये बैठकें केवल सदस्यों के लिए खुली हैं।
	खुली हैं?	
1.7.7	क्या बैठकों के विवरण जनता के	विवरण जनता के लिए उपलब्ध हैं।
	लिए उपलब्ध हैं?	
1.7.8	वह स्थान जहां जनता के लिए	कार्यवृत्त रजिस्ट्रार नाईपर रायबरेली के पास उपलब्ध हैं।
	मिनट उपलब्ध हैं?	
1.8	अधिकारियों एवं कर्मचारियों की	निर्देशिका [धारा 4(1)(बी)(ix)]
1.8.1	नाम और पदनाम	कर्मचारी विवरण यहां उपलब्ध है:
1.8.2	टेलीफोन, फैक्स और ईमेल	https://niperraebareli.edu.in/admin.html
	आईडी	
1.9	अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वा	रा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें मुआवजे की प्रणाली भी शामिल है [धारा
	4(1)(बी)(x)]	-
1.9.1	सकल मासिक पारिश्रमिक वाले	सभी कर्मचारियों का सकल मासिक पारिश्रमिक
	कर्मचारियों की सूची	https://niperraebareli.edu.in/rti.html
1.9.2	इसके विनियमों में प्रदत्त	के कर्मचारीराष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान,रायबरेली
	मुआवजे की प्रणाली	(नाईपर-आर),के हकदार हैंएलटीसी, अवकाश नकदीकरण, चिकित्सा लाभ,
		ग्रेच्युटी, भविष्य निधि, गृह निर्माण ऋण, वाहन ऋण और पेंशन लाभ आदि।
1.10	लोक सूचना अधिकारियों का नाम	ा, पदनाम और अन्य विवरण [धारा 4(1)(बी)(xvi)]
1.10.1	लोक सूचना अधिकारी	a. डॉ. सुनील कुमार यादव ,वित्त एवं लेखा अधिकारी सी.पी.आई.ओ. एवं
	(पीआईओ), सहायक लोक सूचना	नोडल अधिकारी राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान
	अधिकारी (एपीआईओ) और	संस्थान,रायबरेली , न्यू ट्रांजिट कैंपस, बिजनौर रोड, सरोजिनी नगर,
	•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

	अपीलीय प्राधिकारी का नाम और	सीआरपीएफ बेस कैंप के पास, लखनऊ (यूपी)- 226002
	पदनाम	फोन नंबर :+919560820416
1.10.2	प्रत्येक नामित अधिकारी का	
		b. डॉ. जय नारायण , रजिस्ट्रार प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
	आईडी।	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अन्संधान संस्थान,रायबरेली , न्यू ट्रांजिट
		कैंपस, बिजनौर रोड, सरोजिनी नगर, सीआरपीएफ बेस कैंप के पास,
		लखनऊ (यूपी)- 226002
		ईमेल:registrar@niperraebareli.edu.in
1.11	कर्मचारियों की संख्या जिनके वि	रुद्ध अन्शासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित/की गई है (धारा 4(2)
1.11.1	कर्मचारियों की संख्या जिनके	· • · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	विरुद्ध अन्शासनात्मक	आज की तिथि तक शून्य
	कार्रवाई (i) लघु दंड या वृहद दंड	
	कार्यवाही के लिए लंबित है	
1.11.2	(ii) छोटे जुर्माने या बड़े जुर्माने की	
	कार्यवाही के लिए अंतिम रूप	
	दिया गया	
1.12	आर.टी.आई. की समझ बढ़ाने के वि	लेए कार्यक्रम (धारा 26)
1.12.1	शैक्षिक कार्यक्रम	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान,रायबरेली (नाईपर-आर) में
		इन मामलों को संभालने के लिए RTI सेल के लिए एक अलग कमरा/कार्यालय
		है। संस्थान समय-समय पर कर्मचारियों और छात्रों के लिए кт। जागरूकता
		कार्यक्रम आयोजित करता है। CPIO ने 05.08.2024 को RTI पर एक सत्र
		आयोजित किया।
1.12.2	सार्वजनिक प्राधिकरणों को इन	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान,रायबरेली (नाईपर-
	कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए	आर),आर.टी.आई. कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए कर्मचारियों को
	प्रोत्साहित करने के प्रयास	परिपत्र/ईमेल जारी करता है। समय-समय पर केंद्रीय सूचना आयोग से प्राप्त
		परिपत्र और अधिसूचनाएँ भी कर्मचारियों को साझा की जाती हैं और उपलब्ध
		कराई जाती हैं।
1.12.3	सी.पी.आई.ओ./एपीआईओ का	श्र्च्य
	प्रशिक्षण	
1.12.4	संबंधित सार्वजनिक	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान,रायबरेली (नाईपर-
	प्राधिकरणों द्वारा आर.टी.आई.	आर), नियमित अंतराल पर आर.टी.आई. पर दिशानिर्देश अपडेट और
	पर दिशा-निर्देशों को अद्यतन	प्रकाशित किए जाते हैं और इसे वेबसाइट पर अंतिम बार 29.08.2024 को अपडेट
	एवं प्रकाशित करना	किया गया था

1.13	स्थानांतरण नीति और स्थानांतर	ण आदेश [एफ सं. 1/6/2011-आईआर दिनांक 15.4.2013]
1.13.1	स्थानांतरण नीति और	चूंकि राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान,रायबरेली (नाईपर-
	स्थानांतरण आदेश [एफ सं.	आर), लखनऊ एक स्वायत्त निकाय है, इसलिए किसी भी गैर-शिक्षण कर्मचारी
	1/6/2011-आईआर दिनांक	का स्थानांतरण नहीं किया गया है। 2023-24 के दौरान कोई आंतरिक
	15.4.2013]	स्थानांतरण नहीं किया गया।
2	बजट और कार्यक्रम	
2.1	प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट	जिसमें सभी योजनाएं, प्रस्तावित व्यय और किए गए संवितरण आदि पर
	रिपोर्ट शामिल हैं। [धारा 4(1)(बी)(xi	i)]
2.1.1	सार्वजनिक प्राधिकरण के लिए	
	कुल बजट	F. No. 50012/1/2024-NIPER (E- 26449) Government of India Ministry of Chemicals and Fertilizers Department of Pharmaceuticals NIPER Section *******
		Janpath Bhawan, New Delhi Dated: 9 th April, 2024
		To The Director, NIPER-Raebareli
		Sub: Allocation of funds for Financial Year 2024-25 -reg.
		I am directed to refer to the above-mentioned subject and to say that the Secretary (Pharma) has approved the following budget allocation for FY 2024–25 for the NIPER-
		Raebareli. (Rs. In Crore)
		Allocation in BE 2023-24 Common SC ST Total GIA-Salary 8.50 1.00 0.50 10.00 GIA-General 3.50 1.00 0.50 5.00
		GIA-Capital 18.50 1.00 0.50 20.00 Total 30.50 3.00 1.50 35.00
		 Further, it is requested to make your current CNA Account balance zero by 30th April, 2024 and take necessary action to open a TSA in RBI in order to receive the Grant-in-aid from the department during FY 2024-25. You are also requested to send the proposal for the release of funds in the 1st quarter with the Utilization Certificate (UC) for the GIA released during FY 2023-24 along with the expenditure statement.
		(Geetha Ashok) Under Secretary (NIPER)
2.1.2	प्रत्येक एजेंसी और योजना एवं	विभागाध्यक्ष/अनुभाग प्रभारी द्वारा उनकी आवश्यकता के
	कार्यक्रम के लिए बजट	आधार पर बजट प्रस्तावित किया जाता है, जिसका मूल्यांकन
		संस्थान स्तरीय समिति द्वारा किया जाता है और अंत में वित
		समिति तथा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को विचार और अनुमोदन के लिए
		प्रस्त्त किया जाता है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा अन्मोदित
		गतिविधियाँ की जाती हैं और गतिविधियों के लिए आवंटित बजट
		का उपयोग विभाग द्वारा किया जाता है।
		वित्त वर्ष 2023-24 के लिए उपभोग्य वस्तुओं के लिए अंतिम
		बजट आवंटन

मास्टर्स (सत्र 2022-24 और 2023-25) और पीएचडी छात्र				
विभाग	संकाय का नाम	कुल अनुमानित आवंटन (रु.)		
	डॉ. आभा शर्मा	1275000		
4 -0	डॉ. संदीप चौधरी	1450000		
औषधीय	डॉ. निहार रंजन	1225000		
रसायन	डॉ गोपाल लाल खटीक	1225000		
शास्त्र	डॉ. संदीप सी.	1200000		
	कुल	6375000		
	डॉ. संजय तिवारी	1450000		
औषध बनाने	डॉ. आवेश यादव	1475000		
	डॉ. कीर्ति जैन	1550000		
की विद्या	डॉ राह्ल शुक्ला	1225000		
	कुल	5700000		
	डॉ राकेश कुमार सिंह	1300000		
औषध	डॉ. अशोक दतुशालीया	1187500		
आषध विज्ञान और	डॉ सबा नक़वी	900000		
विष विज्ञान	डॉ. रविन्द्र कौंडल	975000		
वित्र विशान	डॉ सपना कुशवाह	1037500		
	कुल	5400000		
	डॉ राकेश कुमार सिंह	275000		
	डॉ. अशोक दतुशालीया	300000		
विनियामक	डॉ सबा नक़वी	300000		
विष विज्ञान	डॉ. रविन्द्र कौंडल	225000		
	डॉ सपना कुशवाह	375000		
	कुल	1475000		
जैव	डॉ निधि श्रीवास्तव	1200000		
प्रौद्योगिकी	डॉ अभिषेक डे	525000		

		डॉ. सौरभ अवस्थी	700000
		डॉ निरंजन मेहर	400000
		कुल	2825000
		कुल	21775000
2.1.3	प्रस्तावित व्यय	नाईपर रायबरेली की वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध https://niperraebareli.edu.in/annualreports.html	
2.1.4	प्रत्येक एजेंसी के लिए संशोधित	नहीं	
	बजट, यदि कोई हो		
2.1.5	किए गए संवितरणों पर रिपोर्ट	किए गए संवितरण की रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट में उप	लब्ध है
	तथा वह स्थान जहां संबंधित	https://niperraebareli.edu.in/annualreports.html	
	रिपोर्ट उपलब्ध हैं		
2.2	विदेशी एवं घरेलू दौरे (एफ.सं. 1/8/2	2012-आईआर दिनांक 11.9.2012)	
2.2.1	बजट	विदेशी और घरेलू यात्राओं के लिए कोई अलग बज	ट नहीं है। इसे सामान्य
		बजट से पूरा किया जाता है, जैसा कि ऊपर 2.1.1 में व	बताया गया है।
2.2.2	सरकार के संयुक्त सचिव और	https://niperraebareli.edu.in/annualreports.html	
	उससे ऊपर के स्तर के मंत्रालयों		
	और अधिकारियों तथा		
	विभागाध्यक्षों द्वारा विदेश और		
	घरेलू दौरे।		
	(क) भ्रमण किये गये स्थान।		
	(ख) दौरे की अवधि.		
	(ग) सरकारी प्रतिनिधिमंडल में		
	सदस्यों की संख्या।		
	(घ) यात्रा पर व्यय.		
2.2.3	खरीद से संबंधित सूचना - (क)	निविदाओं के बारे में विवरण यहां दिया गया है:	
	नोटिस/निविदा पूछताछ, और	https://niperraebareli.edu.in/tender.html	
	यदि कोई हो तो शुद्धिपत्र। (ख)		
	प्रदान की गई बोलियों का ब्यौरा		
	जिसमें खरीदी जा रही		
	वस्तुओं/सेवाओं के		
	आपूर्तिकर्ताओं के नाम शामिल		
	होंगे, (ग) संपन्न कार्य अनुबंध -		
	उपरोक्त के किसी भी संयोजन		

	में - और, (घ) दर/दरें और कुल	
	राशि जिस पर ऐसी खरीद या	
	कार्य अनुबंध निष्पादित किया	
	जाना है।	
2.3	सब्सिडी कार्यक्रम के क्रियान्वयन	। का तरीका [धारा 4(i)(बी)(xii)]
2.3.1	गतिविधि कार्यक्रम का नाम	
2.3.2	कार्यक्रम का उद्देश्य	
2.3.3	लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया	
2.3.4	कार्यक्रम/योजना की अवधि	यह लागू नहीं है क्योंकि राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अन्संधान
2.3.5	कार्यक्रम के भौतिक एवं वितीय	संस्थान,रायबरेली (नाईपर-आर), सब्सिडी कार्यक्रम प्रदान नहीं करता है।
	लक्ष्य	
2.3.6	सब्सिडी की	
	प्रकृति/मान/आबंटित राशि	
2.3.7	सब्सिडी अनुदान के लिए पात्रता	
	मानदंड	
2.3.8	सब्सिडी कार्यक्रम के लाभार्थियों	
	का विवरण (संख्या, प्रोफ़ाइल	
	आदि)	
2.4	विवेकाधीन और गैर-विवेकाधीन	अनुदान [फा. सं. 1/6/2011-आईआर दिनांक 15.04.2013]
2.4.1	राज्य सरकार को विवेकाधीन	
	और गैर-विवेकाधीन	लागू नहीं, क्योंकि राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अन्संधान संस्थान, रायबरेली
	अन्दान/आबंटन/	(नाईपर-आर), राज्य सरकार/एनजीओ/अन्य संस्थानों को कोई विवेकाधीन
	गैर सरकारी संगठन/अन्य	
	संस्थाएं	और गैर-विवेकाधीन अनुदान आवंटित नहीं करता है।
2.4.2	उन सभी कानूनी संस्थाओं के	
	वार्षिक खाते जिन्हें सार्वजनिक	
	प्राधिकरणों द्वारा अनुदान	
	प्रदान किया जाता है	
2.5	सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा दी	गई रियायतों, परमिटों या प्राधिकरणों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण [धारा
	4(1)(बी)(xiii)]	
2.5.1	सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा दी	यह लागू नहीं है क्योंकि राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान
	गई रियायतें, परमिट या	संस्थान,रायबरेली (नाईपर-आर) रियायतें, परमिट या प्राधिकरण प्रदान नहीं
	प्राधिकरण	करता है।
	प्रााधकरण	37(11)(4)

2.5.2	प्रत्येक दी गई रियायत, परमिट	
	या प्राधिकरण के लिए - (क)	
	पात्रता मानदंड, (ख)	
	रियायत/अनुदान और/या	
	प्राधिकरण के परमिट प्राप्त	
	करने की प्रक्रिया, (ग)	
	रियायतें/प्राप्तकर्ताओं का नाम	
	और पता	
	परमिट या प्राधिकरण, (घ)	
	रियायतें/प्राधिकरण के परमिट	
	प्रदान करने की तिथि	
2.6	सीएजी और पीएसी पैरा [एफ सं. 1	/6/2011- <mark>आईआर दिनांक</mark> 15.4.2013]
2.6.1	सीएजी और पीएसी के पैराग्राफ	विस्तृत सीएजी रिपोर्ट इस लिंक पर क्लिक करके देखी जा सकती है:
	तथा इनके बाद की गई कार्रवाई	https://niperraebareli.edu.in/annualreports.html
	रिपोर्ट (एटीआर) संसद के दोनों	
	सदनों के पटल पर रख दी गई	
	हैं।	
3.	प्रचार बैंड सार्वजनिक इंटरफ़ेस	
3.1	<u> </u>	वयन के संबंध में जनता के सदस्यों के साथ परामर्श या प्रतिनिधित्व के लिए
	नीति के निर्माण या उसके कार्यान	न्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों के साथ परामर्श या प्रतिनिधित्व के लिए ारा 4(1)(बी)(vii)] [एफ संख्या 1/6/2011-आईआर दिनांक 15.04.2013]
	नीति के निर्माण या उसके कार्यान	
3.1	नीति के निर्माण या उसके कार्यान किसी भी व्यवस्था का विवरण (ध	ारा 4(1)(बी)(vii)] [एफ संख्या 1/6/2011-आईआर दिनांक 15.04.2013]
3.1	नीति के निर्माण या उसके कार्यान किसी भी व्यवस्था का विवरण [ध प्रासंगिक अधिनियम, नियम,	ारा 4(1)(बी)(vii)] [एफ संख्या 1/6/2011-आईआर दिनांक 15.04.2013] इसे नीचे दिए गए पृष्ठों पर जाकर देखा जा सकता है:
3.1	नीति के निर्माण या उसके कार्यान किसी भी व्यवस्था का विवरण धि प्रासंगिक अधिनियम, नियम, प्रपत्र और अन्य दस्तावेज जो	ारा 4(1)(बी)(vii)] [एफ संख्या 1/6/2011-आईआर दिनांक 15.04.2013] इसे नीचे दिए गए पृष्ठों पर जाकर देखा जा सकता है : https://niperraebareli.edu.in/niperact.html
3.1	नीति के निर्माण या उसके कार्यान किसी भी व्यवस्था का विवरण धि प्रासंगिक अधिनियम, नियम, प्रपत्र और अन्य दस्तावेज जो आम तौर पर नागरिकों द्वारा	ारा 4(1)(बी)(vii)] [एफ संख्या 1/6/2011-आईआर दिनांक 15.04.2013] इसे नीचे दिए गए पृष्ठों पर जाकर देखा जा सकता है: https://niperraebareli.edu.in/niperact.html https://niperraebareli.edu.in/bog.html
3.1	नीति के निर्माण या उसके कार्यान किसी भी व्यवस्था का विवरण धि प्रासंगिक अधिनियम, नियम, प्रपत्र और अन्य दस्तावेज जो आम तौर पर नागरिकों द्वारा	ारा 4(1)(बी)(vii)] [एफ संख्या 1/6/2011-आईआर दिनांक 15.04.2013] इसे नीचे दिए गए पृष्ठों पर जाकर देखा जा सकता है: https://niperraebareli.edu.in/niperact.html https://niperraebareli.edu.in/bog.html https://niperraebareli.edu.in/courses.html
3.1	नीति के निर्माण या उसके कार्यान किसी भी व्यवस्था का विवरण धि प्रासंगिक अधिनियम, नियम, प्रपत्र और अन्य दस्तावेज जो आम तौर पर नागरिकों द्वारा	ारा 4(1)(बी)(vii)] [एफ संख्या 1/6/2011-आईआर दिनांक 15.04.2013] इसे नीचे दिए गए पृष्ठों पर जाकर देखा जा सकता है: https://niperraebareli.edu.in/niperact.html https://niperraebareli.edu.in/bog.html https://niperraebareli.edu.in/courses.html https://niperraebareli.edu.in/mou.html
3.1	नीति के निर्माण या उसके कार्यान किसी भी व्यवस्था का विवरण धि प्रासंगिक अधिनियम, नियम, प्रपत्र और अन्य दस्तावेज जो आम तौर पर नागरिकों द्वारा	ारा 4(1)(बी)(vii)] [एफ संख्या 1/6/2011-आईआर दिनांक 15.04.2013] इसे नीचे दिए गए पृष्ठों पर जाकर देखा जा सकता है: https://niperraebareli.edu.in/niperact.html https://niperraebareli.edu.in/bog.html https://niperraebareli.edu.in/courses.html https://niperraebareli.edu.in/mou.html https://niperraebareli.edu.in/faculty.html https://niperraebareli.edu.in/faculty.html
3.1.1	नीति के निर्माण या उसके कार्यान किसी भी व्यवस्था का विवरण धि प्रासंगिक अधिनियम, नियम, प्रपत्र और अन्य दस्तावेज जो आम तौर पर नागरिकों द्वारा उपयोग किए जाते हैं	इसे नीचे दिए गए पृष्ठों पर जाकर देखा जा सकता है: https://niperraebareli.edu.in/niperact.html https://niperraebareli.edu.in/bog.html https://niperraebareli.edu.in/courses.html https://niperraebareli.edu.in/mou.html https://niperraebareli.edu.in/faculty.html https://niperraebareli.edu.in/faculty.html https://niperraebareli.edu.in/faculty.html
3.1.1	नीति के निर्माण या उसके कार्यान किसी भी व्यवस्था का विवरण।ध प्रासंगिक अधिनियम, नियम, प्रपत्र और अन्य दस्तावेज जो आम तौर पर नागरिकों द्वारा उपयोग किए जाते हैं	इसे नीचे दिए गए पृष्ठों पर जाकर देखा जा सकता है: https://niperraebareli.edu.in/niperact.html https://niperraebareli.edu.in/bog.html https://niperraebareli.edu.in/courses.html https://niperraebareli.edu.in/mou.html https://niperraebareli.edu.in/faculty.html https://niperraebareli.edu.in/faculty.html https://niperraebareli.edu.in/faculty.html https://niperraebareli.edu.in/annualreports.html
3.1.1	नीति के निर्माण या उसके कार्यान किसी भी व्यवस्था का विवरण धि प्रासंगिक अधिनियम, नियम, प्रपत्र और अन्य दस्तावेज जो आम तौर पर नागरिकों द्वारा उपयोग किए जाते हैं	इसे नीचे दिए गए पृष्ठों पर जाकर देखा जा सकता है: https://niperraebareli.edu.in/niperact.html https://niperraebareli.edu.in/bog.html https://niperraebareli.edu.in/courses.html https://niperraebareli.edu.in/mou.html https://niperraebareli.edu.in/faculty.html https://niperraebareli.edu.in/faculty.html https://niperraebareli.edu.in/faculty.html

	(ख) आगंतुकों के लिए आवंटित दिन एवं समय।	आर.टी.आई. आवेदकों द्वारा अक्सर मांगे जाने वाले प्रकाशन उपलब्ध कराने के लिए सूचना एवं सुविधा काउंटर (आईएफसी) का संपर्क विवरण:
	(ग) आर.टी.आई. आवेदकों द्वारा अक्सर मांगे जाने वाले प्रकाशन उपलब्ध कराने के लिए सूचना एवं सुविधा काउंटर (आईएफसी) का संपर्क विवरण	डॉ. सुनील कुमार यादव, सी.पी.आई.ओ . राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान,रायबरेली , न्यू ट्रांजिट कैंपस, बिजनौर रोड, सरोजिनी नगर, सीआरपीएफ बेस कैंप के पास, लखनऊ (यूपी)- 226002 फोन नंबर: +919560820416 ईमेल: fo[at]niperraebareli[dot]edu[dot]in डॉ. जय नारायण , प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान,रायबरेली , न्यू ट्रांजिट कैंपस, बिजनौर रोड, सरोजिनी नगर, सीआरपीएफ बेस कैंप के पास, लखनऊ (यूपी)- 226002 ईमेल: registrar[at]niperraebareli[dot]edu[dot]in
3.1.3	- ' 0 0 0 0 0 0	Total, (11311) 11 (17 4) 11 (17 4) 11 (17 (13 13) (4 11) 220002 2010. regional [adjin]penaebaleii[uutjeuu[uutjin
0.1.0	सार्वजनिक-निजी भागीदारी	
	(पी.पी.पी.) - विशेष प्रयोजन	
	वाहन का विवरण	
3.1.4	(एसपीवी), यदि कोई हो सार्वजनिक-निजी भागीदारी	
	(पी.पी.पी.)- विस्तृत परियोजना	
	(पा.पा.भा.भा वस्तृत पारयाजना रिपोर्ट (डीपीआर)	लागू नहीं
3.1.5	सार्वजनिक-निजी भागीदारी	211-10161
	(पी.पी.पी.)- रियायत समझौते	
3.1.6	सार्वजनिक-निजी भागीदारी	
	(पी.पी.पी.) - संचालन और	
	रखरखाव मैन्अल	
3.1.7	सार्वजनिक-निजी भागीदारी	
	(पी.पी.पी.) - पी.पी.पी. के	
	कार्यान्वयन के भाग के रूप में	
	तैयार किए गए अन्य दस्तावेज	
3.1.8	सार्वजनिक-निजी भागीदारी	
	(पी.पी.पी.) - शुल्क, टोल या कर	
	से संबंधित जानकारी	
	अन्य प्रकार के राजस्व जो	
	सरकार से प्राधिकरण के तहत	
	एकत्र किए जा सकते हैं	
3.1.9	सार्वजनिक-निजी भागीदारी	
	(पी.पी.पी.) - आउटपुट और	
	परिणामों से संबंधित जानकारी	

3.1.10	सार्वजनिक-निजी भागीदारी	
	(पी.पी.पी.) - सार्वजनिक-निजी	
	भागीदारी के लिए निजी क्षेत्र के	
	पक्ष (रियायती आदि) के चयन	
	की प्रक्रिया।	
3.1.11	सार्वजनिक-निजी भागीदारी	
	(पी.पी.पी.) - पी.पी.पी.	
	परियोजना के अंतर्गत किया	
	गया समस्त भुगतान	
3.2	क्या जनता को प्रभावित करने वा	ली नीतियों/निर्णयों का ब्यौरा उन्हें सूचित किया जाता है [धारा 4(1)(सी)]
3.2.1	महत्वपूर्ण नीतियों को तैयार	
	करते समय या जनता को	
	प्रभावित करने वाले निर्णयों की	
	घोषणा करते समय सभी	
	प्रासंगिक तथ्यों को प्रकाशित करें	
	ताकि प्रक्रिया को अधिक	
	संवादात्मक बनाया जा सके -	
	पिछले एक वर्ष में लिए गए	विस्तृत विवरण ऊपर 3.1.1 के अंतर्गत दिया गया है
	नीतिगत निर्णय/कानून	
3.2.2	महत्वपूर्ण नीतियों को तैयार	
	करते समय या जनता को	
	प्रभावित करने वाले निर्णयों की	
	घोषणा करते समय सभी	
	प्रासंगिक तथ्यों को प्रकाशित करें	
	ताकि प्रक्रिया को अधिक	
	संवादात्मक बनाया जा सके -	
	सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया की	
	रूपरेखा तैयार करें	
3.2.3	महत्वपूर्ण नीतियों को बनाते	
	समय या जनता को प्रभावित	
	करने वाले निर्णयों की घोषणा	
	करते समय सभी प्रासंगिक	
	तथ्यों को प्रकाशित करें ताकि	
	प्रक्रिया को अधिक संवादात्मक	

	बनाया जा सके - नीति निर्माण	
ı	से पहले परामर्श की व्यवस्था	
ì	की रूपरेखा तैयार करें।	
3.3	सूचना का व्यापक रूप से और ऐसे 4(3)]	ा रूप और तरीके से प्रसार करना जो जनता के लिए आसानी से सुलभ हो [धारा
3.3.1	संचार के सबसे प्रभावी साधन	नाईपर-रायबरेली (नाईपर-आर) की वेबसाइट: <u>https://www.niperraebareli.edu.in</u>
İ	का उपयोग - इंटरनेट (वेबसाइट)	
3.4	सूचना मैनुअल/हैंडबुक की पहुंच व	ना प्रारूप [धारा 4(1)(बी)]
3.4.1	सूचना पुस्तिका/हैंडबुक	हां, यह वेबसाइट पर उपलब्ध है राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान
ı	इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में उपलब्ध	संस्थान,रायबरेली (नाईपर-आर)
ì	है	
3.4.2	सूचना प्स्तिका/हैंडब्क म्द्रित	हां, सूचना मैन्अल/हैंडब्क का म्द्रित प्रारूप एफएए/सी.पी.आई.ओ. के
ı	प्रारूप में उपलब्ध है	कार्यालय में उपलब्ध है।
3.5	सूचना पुस्तिका/हैंडबुक निःशुल्क	उपलब्ध है या नहीं [धारा 4(1)(बी)]
3.5.1	निःश्ल्क उपलब्ध सामग्री की	विस्तृत जानकारी ऊपर 3.1.1 के अंतर्गत दी गई है। ये दस्तावेज वेबसाइट से
İ	सूची	निःश्ल्क उपलब्ध हैं।
3.5.2	माध्यम की उचित लागत पर	उपरोक्त सूचीबद्ध सामग्री की प्रमाणित प्रतिलिपि नागरिक आर.टी.आई.
ı	उपलब्ध सामग्रियों की सूची	अधिनियम, 2005 के अन्सार उचित श्ल्क का भ्गतान करके प्राप्त कर
ì	,	सकते हैं।
4	ई-शासन	
4.1	सूचना मैन्अल/हैंडबुक जिस भाष	। में उपलब्ध है [एफ सं. 1/6/2011-आईआर दिनांक 15.4.2013]
4.1.1	अंग्रेज़ी	हां, इसे वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।
4.1.2	स्थानीय भाषा/स्थानीय भाषा	हां, इसे वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।
4.2	सूचना मैन्अल/हैंडबुक को अंतिम	बार कब अपडेट किया गया था? [एफ सं. 1/6/2011-आईआर दिनांक 15.4.2013]
4.2.1	वार्षिक अद्यतन की अंतिम	29.08.2024
ı	तिथि	
4.3	इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध जान	कारी [धारा 4(1)(बी)(xiv)]
4.3.1	इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध	
ı	जानकारी का विवरण	जानकारी का विवरण ऊपर 3.1.1 के अंतर्गत उपलब्ध कराया गया है।
4.3.2	दस्तावेज़/रिकॉर्ड का	जानकारी संगठन की वेबसाइट पर देखी जा सकती
ì	नाम/शीर्षक/अन्य जानकारी	है:https://www.niperraebareli.edu.in;
4.3.3	स्थान जहां उपलब्ध हो	
4.4		मां को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण [धारा 4(1)(बी)(xv)]

4.4.1	सुविधा का नाम और स्थान	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान,रायबरेली (नाईपर-आर) में RTI सेल है। नाईपर-आरद्वारा की जाने वाली गतिविधियों से संबंधित जानकारी उन उपयोगकर्ताओं को प्रदान की जाती है जो जानकारी मांगते हैं। कार्यालय का पताः राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान,रायबरेली (नाईपर-आर), ट्रांजिट कैम्पस, बिजनौर रोड, सरोजिनी नगर, सीआरपीएफ बेस कैंप के पास, लखनऊ (यूपी)- 226002. यह जानकारी संस्थान की वेबसाइट पर भी अपलोड की गई है। https://www.niperraebareli.edu.in सामान्य संदर्भ हेतु.
4.4.2	उपलब्ध कराई गई जानकारी का विवरण	जैसा कि ऊपर 3.5.1 में सूचीबद्ध है; इच्छुक लोग वांछित जानकारी के लिए वेबसाइट पर जा सकते हैं। यदि आवश्यक जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है तो वे ईमेल आईडी पर सी.पी.आई.ओ. को ईमेल भेज सकते हैं fo@niperraebareli.edu.in आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के अनुसार आवश्यक जानकारी प्राप्त करना। यदि आवश्यक जानकारी उपलब्ध है, तो उसे अधिनियम के अनुसार निर्धारित समय के भीतर प्रदान किया जाएगा। भारत का कोई भी नागरिक जो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (अधिनियम) के तहत कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहता है, वह अधिमानतः लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आवेदन प्रारूप में लोक सूचना अधिकारी न सहायक लोक सूचना अधिकारी को अनुरोध कर सकता है।
4.4.2	सुविधा के कार्य घंटे	सुबह 9:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक
4.4.3	संपर्क व्यक्ति एवं संपर्क विवरण (फोन, फैक्स ईमेल)	डॉ. सुनील कुमार यादव, सी.पी.आई.ओ. राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान,रायबरेली , न्यू ट्रांजिट कैंपस, बिजनीर रोड, सरोजिनी नगर, सीआरपीएफ बेस कैंप के पास, लखनऊ (यूपी)- 226002 फोन नंबर:+919560820416 ईमेल:fo@niperraebareli.edu.in
4.5	ऐसी अन्य जानकारी जो धारा 4(i)((b)(xvii) के अंतर्गत निर्धारित की जा सकती है
4.5.1	शिकायत निवारण तंत्र	शिकायतों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निवारण किया जाता है। सभी पीड़ित छात्र, कर्मचारी और अन्य लोग पहले संस्थान की आंतरिक समिति से संपर्क कर सकते हैं, और यदि वे समिति के निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं, तो वे अपनी अपील संबंधित प्राधिकारी को भेज सकते हैं और वह अपनी शक्तियों का प्रयोग करके उन शिकायतों की सुनवाई करेगा और अपील प्राप्त होने के एक महीने के भीतर उनका निपटारा सुनिश्चित करेगा। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की आंतरिक शिकायत समिति और छात्र शिकायत निवारण समिति का विवरण 1.3.1 (ऊपर) में दिया गया है।
4.5.2	आर.टी.आई. के तहत प्राप्त आवेदनों और उपलब्ध कराई गई जानकारी का विवरण	वर्ष 2023-24 के लिए आर.टी.आई. अनुरोध की स्थिति

		क्रम सं.	वर्ष 2023-24 में 5 आर.टी.आई. अन् की कुल संख्	नुरोधों	वर्ष 2023-24 में निपटाए आर.टी.आई. अनुरोधो कुल संख्या 42		
4.5.3	पूर्ण हो चुकी			पूर्ण हो र	युकी परियोजनाओं व	की सूची	
	योजनाओं/परियोजनाओं/कार्य क्रमों की सूची	क्र. सं.	पीआई का नाम	परिय	ोजना का शीर्षक	वित्तपोषण	परियोजना
	प्रता यम रूपा	1	डॉ. निहार रंजन	(टोब्रामा संकर ६ आरएन लक्षित	ग्लाइकोसाइड इसिन) आधारित छोटे अणु जीवाणु आरए ए-साइट को कर नए तपेदिक जेंट विकसित कर	एजेंसी विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड	सागत 41,44,910
		2	डॉ. आवेश कुमार यादव	नैनोक्ल	घटनीय डीएनए यू आधारित साइट इकेंसर रोधी दवा	विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड	47,81,310
		3	डॉ राहुल शुक्ला	लक्षित	•	विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड	11,88,603
		4	डॉ. मुनीन्द्र रूवाली	उपचार को कम आशाज में Nrf2	लिम्फोब्लास्टिक मेंया (ALL) के में कीमोरेसिस्टेंस करने के लिए एक नक लक्ष्य के रूप 2 एंटी-ऑक्सीडेंट या तत्व (ARE) मार्ग यांकन	इंजीनियरिंग	10,50,000
		5	डॉ अशोक कुमार दातुसालिया	कृषि र	सायनों की तीव्र तता का आकलन	एएएल बायोसाइंसेज रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड	3,51,000
		6	डॉ अशोक कुमार दातुसालिया		प्रेरित मोटापे और स्था में तनाव या और	आईएसएन इंटरनेशनल	⁴⁷⁰⁰ अमरीकी डॉलर

		न्यूरोइंफ्लेमेटरी मार्करों का विनियमन	स्कूल ऑफ न्यूरोकेमिस्ट्री	
7	डॉ. संजय तिवारी	लक्षित माइक्रेलर प्रणालियों का उपयोग करके ट्यूमर चयनात्मक दवा वितरण	यूजीसी-डीएई-	4,74,136
8	डॉ रेवती रमन उज्ज्वल	कैंसर रोधी लक्षित चिकित्सा के लिए जैवनिम्नीकरणीय और जैवसंगत बहुलक नैनोकंपोजिट का निर्माण	विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड	10,60,206
9	डॉ राकेश कुमार सिंह	इथेनॉल प्रेरित बायोमार्करों के अवरोध का इन-विट्रो अध्ययन	लेयूटिस फार्मा एलएलपी	5,05,000
10	डॉ सबा नक़वी	महिला वैज्ञानिक योजना	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	2,53,532
11	प्रोफ़ेसर शुभिनी ए सराफ़	हार्मोनल रिसेप्टर पॉजिटिव स्तन कैंसर कोशिकाओं में डॉक्सोरूबिसिन हाइड्रोक्लोराइड के लक्षित वितरण में कार्बोहाइड्रेट- लेक्टिन इंटरैक्शन की खोज	ਗਾਬਣ ਜਵ	5,15,600
12	डॉ. संदीप चौधरी	ल्यूपस रोगियों के परिधीय रक्त मोनोन्यूक्लियर कोशिकाओं में नए टोल- जैसे रिसेप्टर-सिग्निलंग अवरोधकों की इम्यूनोमॉडुलेटरी गतिविधियों की खोजः ल्यूपस के लिए दवा लक्ष्य के रूप में टीकेआर की पहचान करने का एक अध्ययन	इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड, नई	62,78,980
१ ३	डॉ. संजय तिवारी	यूजीसी डीएई	यूनिवर्सिटी गार्नट्स कमीशन	45,000

4.5.4	चल रही	चल रही परियोजनाओं की सूची				
	योजनाओं/परियोजनाओं/कार्य क्रमों की सूची	क्र. सं.	पीआई का नाम	परियोजना का शीर्षक	वित्तपोषण एजेंसी	परियोजना लागत
	هر الماريطا	1	डॉ. आभा शर्मा	संभावित अल्जाइमर रोधी एजेंट के रूप में फ्लेवोनोइड- हाइड्रॉक्सीपाइरीडिनोन संकर का नया संश्लेषण	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्, लखनऊ	9,30,000
		2	डॉ अशोक कुमार दातुसालिया	अभिघातजन्य तनाव विकार के लिए लचीलेपन और भेद्यता हेतु तनाव प्रतिक्रिया परिपथ में न्यूरोव्यवहारिक और आणविक न्यूरोप्लास्टिसिटी अंतर	विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड, नई दिल्ली	29,94,020
		3	डॉ अशोक कुमार दातुसालिया	अभिघातजन्य तनाव विकार के उपचार के लिए संशोधित क्युरेनिक सहायता-आधारित मचानों का विकास	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उत्तर प्रदेश	6,00,000
		4	डॉ गोपाल लाल खटीक	अल्जाइमर रोग के उपचार के लिए सेनोलिटिक एजेंटों का डिजाइन	विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड, नई दिल्ली	39,43,764
		5	डॉ रविन्द्र कुमार कौंडल	सेरेब्रल इस्केमिया के प्रायोगिक मॉडल में SERCA एक्टिवेटर्स की न्यूरोप्रोटेक्टिव क्षमता का मूल्यांकन	विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड, नई दिल्ली	40,40,625
		83	डॉ. कीर्ति जैन	कैंसर के उपचार के लिए विभिन्न औषधि-युक्त सतह इंजीनियर्ड डेंड्रिमर संयुग्मों का व्यापक जैविक मूल्यांकन	भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	25,01,075
		14	डॉ अभिषेक डे	हेपेटाइटिस सी वायरस रोगजनन पर आरएनए संरचना और एपिजेनेटिक संशोधनों के प्रभाव को उजागर करना	जैव प्रौद्योगिकी विभाग	1,23,60,000
		15	डॉ. सौरभ अवस्थी	पार्किसंस रोग के निदान और चिकित्सीय निगरानी के लिए अल्फा सिन्यूक्लिन ओलिगोमर्स का अतिसंवेदनशील पता लगाना और एकल अणु स्तर पर जैवभौतिकीय लक्षण वर्णन	7	1,23,60,000
		16	डॉ राहुल शुक्ला	एलआरपी इंजीनियर नैनोलिपिडिक वाहक विल्सन रोग में मस्तिष्क लक्ष्यीकरण के लिए संभावित चिकित्सा के रूप में	इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड, नई दिल्ली	23,63,080
		17	डॉ. संदीप चौधरी	रूमेटाइड अर्थराइटिस मोनोन्यूक्लियर कोशिकाओं और सिनोवियल फाइब्रोब्लास्ट पर नए	चिकित्सा	12,60,000

 1	ı			, I
		टोल लाइक रिसेप्टर सिग्नलिंग अवरोधकों के विरोधी भड़काऊ प्रभावों की खोजः रूमेटाइड अर्थराइटिस में सूजन को नियंत्रित करने के लिए भविष्य की संभावित रणनीति के रूप में टीएलएस सिग्नलिंग अवरोध की पहचान करने के लिए एक इन विट्रो अध्ययन	परिषद, नई दिल्ली विज्ञान एवं	
18	डॉ. आभा शर्मा	अल्जाइमर रोधी एजेंट के रूप में नवीन दोहरे GSK3B/HDAC अवरोधक का संश्लेषण और मूल्यांकन	विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड, नई दिल्ली	37,91,040
19	डॉ निरंजन मेहर	प्रोस्टेट कैंसर के संयुक्त फोटोडायनामिक और फोटोथर्मल थेरेपी के लिए पीएसएमए-लक्षित एजेंट	डीएसटी इंस्पायर फैकल्टी फेलोशिप	1,10,00,000
14	डॉ रविन्द्र कुमार कौंडल	इस्केमिक स्ट्रोक के लिए संभावित न्यूरोप्रोटेक्टिव चिकित्सा के रूप में नवीन बहु-लक्ष्य यूरोलिथिन एनालॉग्स का विकास और मूल्यांकन	भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	60,86,084
15	डॉ. संजय तिवारी	फार्माकोकाइनेटिक्स और बायोडिस्ट्रीब्यूशन अध्ययन	लेयूटिस फार्मा एलएलपी	4,60,000
16	डॉ राकेश कुमार सिंह	डिब्रोमो इंडोलिज़िन एनालॉग्स का डिज़ाइन, संश्लेषण, लक्षण वर्णन और इन विट्रो में लिपोपॉलीसेकेराइड (LPS)- प्रेरित मॉडल में उनकी विरोधी भड़काऊ गतिविधि का मूल्यांकन	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उत्तर प्रदेश	9,00,000
17	डॉ सबा नक़वी	एलपीएस प्रेरित न्यूरोइन्फ्लेमेशन के विरुद्ध मॉड्यूलर के रूप में बह्कियाशील डेंड्रिमर्स की जांच करना	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उत्तर प्रदेश	14,86,000
18	डॉ. निधि श्रीवास्तव	अनुसंधान एसोसिएटशिप कार्यक्रम	क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र	7,63,540
19	डॉ. अंकिता शर्मा	BPA-प्रेरित नेफ्रोटॉक्सिसिटी में फेरोप्टोसिस और माइटोकॉन्ड्रियल शिथिलता को दबाने के लिए Nrf2-ARE तनाव प्रतिक्रिया तंत्र को लक्षित करना	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उत्तर प्रदेश	11,00,000
20	डॉ. संदीप चंद्रशेखर प्पा	तीव्र फेफड़े की चोट के सेल-आधारित और पशु मॉडल में नाइट्रोजन टेथर्ड व्युत्पन्न का संश्लेषण और मूल्यांकन	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उत्तर प्रदेश	15,36,000
21	डॉ. निधि श्रीवास्तव	फसल की कटाई के बाद पैदावार के प्रबंधन के लिए कैप्सिकम एनम एल. (बेल पेपर) के अप्रयुक्त डंठल से नैनो- स्प्रे का डिजाइन और विकास प्रदेश	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उत्तर प्रदेश	12,50,000

		1	26	20	0	
		क्रम सं.	वर्ष 2023-24 में प्राप्त आर.टी.आई. अपीलों की कुल संख्या	तर्ष आर.टा.आइ. अपाल व वर्ष 2023-24 में निपटाए गए आर.टी.आई. अपीलों की कुल संख्या	वर्ष 2023-24 में शेष आर.टी.आई. अपीलों की कुल संख्या	
			वर्ष ₂₀₂₃₋₂₄ के रि	लेए आर.टी.आई. अपील व	ने स्थिति	
		1	42	42	0	
			संख्या	की कुल संख्या	की कुल संख्या	
	का विवरण	्र श्रम् सं.	जार.टा.जाइ. अनुरोधों की कुल	आर.टी.आई. अनुरोधों	आर.टा.आइ. अनुरोधित शेष राशि	
4.6.2	प्राप्त अपीलों और जारी आदेशों	क्रम	वर्ष 2023-24 में प्राप्त आर.टी.आई.	वर्ष 2023-24 में निपटाए गए	वर्ष 2023-24 में आर.टी.आई.	
	प्राप्त एवं निपटाए गए आवेदनों का विवरण			नेए आर.टी.आई. अनुरोध —		
4.6.1	आर.टी.आई. आवेदनों और अपील	ों की प्राप्ति	प्त और निपटान ₍ एफ	ज्ञ.स. 1/6/2011-आ ईआर वि	दैनाक 15.04.2013]	
4.6	निष्पादन				•	
	मानदंडों के अनुरूप कार्य					
	नागरिक चार्टर में निर्धारित				्र तिए समय सीमा का	
	(सी) पर छह मासिक रिपोर्ट, (डी)				उ प्राहक समूह⁄हितधारक,	
	फ्रेमवर्क दस्तावेज़ (आरएफडी),				मुख्य घटक विजन और	
	नागरिक चार्टर, (ख) परिणाम			•	थान की प्रतिबद्धता को	
4.5.8	कोई अन्य जानकारी जैसे - (क)	नागरि		के मानक गणवता भी	र समय सीमा, शिकायत	
	अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)	अनुलग	ग भ-।			
4.5.7			perraebareli.edu.in/annu	ualreports.html		
4.5.6	वार्षिक रिपोर्ट	, ,	i उपलब्ध है:			
		सुरक्षा सेवाएँ प्रदान की गईं: मेसर्स एपी सिक्यूर्टिस प्राइवेट लिमिटेड हाउसकीपिंग सेवाएं प्रदान की गईं: मेसर्स शाइन एंड सिंध सिक्योरिटी (पी) लिं				
		निविदाए https://nip	t: erraebareli.edu.in/tender.ht	<u>ml</u>		
	अनुबंधों का विवरण	रहा ह, र	जो सभी व्यक्तियों क	लिए सार्वजनिक रूप से	' सुलभ है।	
	अवधि सहित किए गए सभी				र्टल (सी.पी.पी.पी.) से कर	
	राशि और अनुबंध पूरा होने की			9	की खरीद सरकारी ई	
	ठेकेदार का नाम, अनुबंध की	राण्ट्राप	औषधीय शिक्षा	एव अनुसयान सस्य	गण,रायबरला (णाइपर	

4.7.1	संसद में पूछे गए प्रश्नों और	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
	दिए गए उत्तरों का विवरण		संसद प्रश्नों की	स्थिति (तारांकित/अता	ारांकित)		
		वर्ष	कुल पूछे गए प्रश्न (तारांकित / अतारांकित)	कुल PQ ने उत्तर दिया (तारांकित / अतारांकित)	शेष राशि पीक्यू (तारांकित / अतारांकित)		
		2023-24	08	08	00		
_		2024-25	01	01	00		
5	निर्धारित जानकारी						
5.1	ऐसी अन्य जानकारी जो निर्धारित	ा की जा सक	ज्ती है _[एफ. सं. 1/2/20	16-आईआर दिनांक 1	7.8.2016, एफ सं. 1/6/2011-		
	आईआर दिनांक 15.4.2013]						
5.1.1	नाम और ब्यौरा - (क) वर्तमान	डॉ. सुनील व्	कुमार यादव ,वित्त एवं र	त्रेखा अधिकारी,			
	सी.पी.आई.ओ. और एफएए, (ख)	सी.पी.आई.	ओ. एवं नोडल अधिक	ारी			
	1.1.2015 से पूर्व के सी.पी.आई.ओ.		-	नंधान संस्थान,रायबरेल	· •		
	और एफएए	आरपीएफ बेस कैंप के प	पास, लखनऊ (यूपी)-				
		226002 फोन	ा नंबर : +919560820416				
		ईमेल :fo@ni	perraebareli.edu.in				
		डॉ. जय नार	ायण , रजिस्ट्रार, प्रथम	जिस्ट्रार, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी			
		राष्ट्रीय औष	षधीय शिक्षा एवं अनुर	नंधान संस्थान,रायबरेली	गी , न्यू ट्रांजिट कैंपस,		
		बिजनौर रोड, सरोजिनी नगर, सीआरपीएफ बेस कैंप के पास, लंखनऊ (यूपी)-					
		226002 ईमेल: registrar@niperraebareli.edu.in					
5.1.2	स्वैच्छिक प्रकटीकरण के तीसरे	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान,रायबरेली (नाईपर-आर) का					
	पक्ष के ऑडिट का विवरण - (क)	वर्ष 2023-24 के लिए तृतीय पक्ष ऑडिट एन.आई.टी.टी.टी.आर, चंडीगढ़ द्वारा					
	किए गए ऑडिट की तारीखें, (ख)	किया जा रहा है।					
	किए गए ऑडिट की रिपोर्ट	इस अवधि	से पहले कोई तृतीय	ग पक्ष लेखा परीक्षा नही	हीं कराई गई थी।		
5.1.3	संयुक्त सचिव/अतिरिक्त	डॉ. सुनील	कुमार यादव ,वित्त ए	वं लेखा अधिकारी,			
	विभागाध्यक्ष के पद से नीचे के	सी.पी.आई	.ओ. एवं नोडल अधि	ोकारी,			
	नोडल अधिकारियों की	राष्ट्रीय औ	षधीय शिक्षा एवं अ	नुसंधान संस्थान,राय	ाबरेली , न्यू ट्रांजिट		
	निय्क्ति - (क) निय्क्ति की	कैंपस, बिजनौर रोड, सरोजिनी नगर, सीआरपीएफ बेस कैंप के पास, लखनऊ					
	तिथि, (ख) अधिकारियों का नाम	(यूपी)- 2260					
	और पदनाम	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	:+919560820416				
			niperraebareli.edu.in				
5.1.4	स्वप्रेरणा प्रकटीकरण पर सलाह	गठन की ि					
	के लिए प्रम्ख हितधारकों की	अधिकारि	यों का नाम और पद	नाम			

		-
	परामर्श समिति - (क) गठन की	1. डॉ. जय नारायण, रजिस्ट्रार
	तिथि, (ख) अधिकारियों के नाम	2. डॉ. सुनील कुमार यादव, वित्त एवं लेखा अधिकारी
	और पदनाम	 डॉ. गोपाल लाल खटीक, सहायक प्रोफेसर
		 श्री आशीष जग्गल, प्रशासनिक अधिकारी
5.1.5	आर.टी.आई. के तहत अक्सर	फरवरी, 2020 से
	मांगी जाने वाली जानकारी की	डॉ. सुनील कुमार यादव ,वित्त एवं लेखा अधिकारी,
	पहचान करने के लिए	सी.पी.आई.ओ. एवं नोडल अधिकारी,
	आर.टी.आई. में समृद्ध अन्भव	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान,रायबरेली , न्यू ट्रांजिट कैंपस,
	वाले पीआईओ/एफएए की	बिजनौर रोड, सरोजिनी नगर, सीआरपीएफ बेस कैंप के पास, लखनऊ (यूपी)-
	समिति - (ए) गठन की तारीख,	226002 फोन नंबर: +919560820416
	(बी) अधिकारियों के नाम और	ईमेल:fo@niperraebareli.edu.in
	पदनाम	डॉ . जय नारायण , रजिस्ट्रार प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
		राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान,रायबरेली , न्यू ट्रांजिट कैंपस,
		बिजनौर रोड, सरोजिनी नगर, सीआरपीएफ बेस कैंप के पास, लखनऊ (यूपी)-
		226002 ईमेल: registrar@niperraebareli.edu.in
6	स्वयं की पहल पर जानकारी का र	<u>बुलासा</u>
6.1	वस्तु/सूचना का खुलासा किया ज	ाना चाहिए ताकि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए आर.टी.आई.
	अधिनियम का कम से कम सहार	ा लेना पड़े।
6.1.1	वस्तु/सूचना का खुलासा किया	मद / सूचना, राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, रायबरेली
	जाना चाहिए ताकि जनता को	(नाईपर-आर) की वेबसाइट पर प्रकट की गई है,https://www.niperraebareli.edu.in,
	सूचना प्राप्त करने के लिए	जिसे नियमित अंतराल पर अद्यतन किया जाता है।
	आर.टी.आई. अधिनियम का	
	कम से कम सहारा लेना पड़े।	
6.2	भारतीय सरकारी वेबसाइटों के लि	पेए दिशा-निर्देश (जीआईजीडब्ल्यू) का पालन किया जाता है (फरवरी, 2009 में
	जारी किया गया और कार्मिक, लो	क शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत
	विभाग द्वारा केंद्रीय सचिवालय	कार्यालय प्रक्रिया मैनुअल (सीएसएमओपी) में शामिल किया गया)
6.2.1	क्या एसटीक्यूसी प्रमाणीकरण	ı
	प्राप्त किया गया है और इसकी	5
	वैधता क्या है	
6.2.2	क्या वेबसाइट पर प्रमाणपत्र	ऊपर की तरह
	् दिखाया गया है?	
	1991919161	

राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, रायबरेली

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफ.ए.क्यूस.)

आर.टी.आई. से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न 1. सूचना क्या है?

सूचना किसी भी रूप में कोई भी सामग्री है जिसमें रिकॉर्ड, दस्तावेज, जापन, ई-मेल, राय, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, अनुबंध, रिपोर्ट, कागजात, नमूने, मॉडल, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए डेटा सामग्री शामिल हैं। इसमें किसी भी निजी निकाय से संबंधित जानकारी भी शामिल है जिसे किसी भी कानून के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा पहुंचा जा सकता है।

प्रश्न 2. सार्वजनिक प्राधिकरण क्या है?

"सार्वजिनक प्राधिकरण" संविधान द्वारा या उसके अधीन स्थापित या गठित कोई भी प्राधिकरण या निकाय या स्वशासन की संस्था है; या संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी अन्य कानून द्वारा; या केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना या आदेश द्वारा। केंद्र सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व वाली, नियंत्रित या पर्याप्त रूप से वित्तपोषित संस्थाएँ और केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित गैर-सरकारी संगठन भी सार्वजिनक प्राधिकरण की परिभाषा में आते हैं। सरकार द्वारा निकाय या एनजीओ का वित्तपोषण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो सकता है।

प्रश्न 3. लोक सूचना अधिकारी क्या है?

सार्वजनिक प्राधिकरणों ने अपने कुछ अधिकारियों को लोक सूचना अधिकारी के रूप में नामित किया है। वे आर.टी.आई. अधिनियम के तहत सूचना मांगने वाले व्यक्ति को सूचना देने के लिए जिम्मेदार हैं।

प्रश्न 4. केन्द्र सरकार के सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचना मांगने के लिए शुल्क क्या है?

जो व्यक्ति केंद्र सरकार के किसी सार्वजनिक प्राधिकरण से कोई सूचना प्राप्त करना चाहता है, उसे आवेदन के साथ 10/- (दस रुपये) का डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक या भारतीय पोस्टल ऑर्डर भेजना होगा, जो सूचना प्राप्त करने के लिए निर्धारित शुल्क के रूप में सार्वजनिक प्राधिकरण के लेखा अधिकारी को देय होगा। शुल्क का भुगतान सार्वजनिक प्राधिकरण के लेखा अधिकारी या सहायक लोक सूचना अधिकारी को उचित रसीद के साथ नकद के रूप में भी किया जा सकता है। हालाँकि, आर.टी.आई. शुल्क और भुगतान का तरीका अलग-अलग हो सकता है क्योंकि आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 की धारा 27 और धारा 28 के तहत उपयुक्त सरकार और सक्षम प्राधिकारी क्रमशः आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बनाते हैं।

प्रश्न 5. बी.पी.एल. आवेदक को सूचना मांगने के लिए कितना शुल्क देना होगा?

यदि आवेदक गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) श्रेणी से संबंधित है, तो उसे कोई शुल्क नहीं देना होगा। हालांकि, उसे गरीबी रेखा से नीचे होने के अपने दावे के समर्थन में एक प्रमाण प्रस्त्त करना होगा।

प्रश्न ६. क्या आवेदन का कोई विशिष्ट प्रारूप है?

सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन का कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है। आवेदन सादे कागज पर किया जा सकता है। हालाँकि, आवेदन में आवेदक का नाम और पूरा डाक पता होना चाहिए।

प्रश्न 7. क्या सूचना मांगने के लिए कोई कारण बताना आवश्यक है?

सूचना मांगने वाले को सूचना मांगने का कारण बताना आवश्यक नहीं है।

प्रश्न 8. क्या सूचना के प्रकटीकरण से छूट का कोई प्रावधान है?

अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) और धारा 9 में उन सूचनाओं के प्रकारों को सूचीबद्ध किया गया है जिन्हें प्रकटीकरण से छूट प्राप्त है। हालाँकि, धारा 8 की उपधारा (2) में प्रावधान है कि उपधारा 3 (1) के तहत छूट प्राप्त या आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 के तहत छूट प्राप्त सूचना का खुलासा किया जा सकता है, यदि प्रकटीकरण में सार्वजनिक हित संरक्षित हित को होने वाले नुकसान से अधिक है।

प्रश्न 9. क्या आर.टी.आई. आवेदन दाखिल करने के लिए आवेदक को कोई सहायता उपलब्ध है?

यदि कोई व्यक्ति लिखित रूप में अनुरोध करने में असमर्थ है, तो वह अपना आवेदन लिखने के लिए लोक सूचना अधिकारी की सहायता ले सकता है और लोक सूचना अधिकारी को उसे उचित सहायता प्रदान करनी चाहिए। जहाँ किसी संवेदी रूप से विकलांग व्यक्ति को किसी दस्तावेज़ तक पहुँच प्रदान करने का निर्णय लिया जाता है, वहाँ लोक सूचना अधिकारी उस व्यक्ति को निरीक्षण के लिए उचित सहायता प्रदान करेगा।

प्रश्न 10. सूचना प्रदान करने की समयावधि क्या है?

सामान्य तौर पर, आवेदक को सूचना सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर प्रदान की जाएगी। यदि मांगी गई सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है, तो उसे 48 घंटों के भीतर प्रदान किया जाएगा। यदि आवेदन सहायक लोक सूचना अधिकारी के माध्यम से भेजा जाता है या इसे किसी गलत सार्वजनिक प्राधिकरण को भेजा जाता है, तो तीस दिन या 48 घंटे की अविध में पांच दिन जोड़े जाएंगे, जैसा भी मामला हो।

प्रश्न 11. क्या आर.टी.आई. अधिनियम के अंतर्गत अपील का कोई प्रावधान है?

यदि आवेदक को तीस दिन या 48 घंटे के निर्धारित समय के भीतर सूचना नहीं दी जाती है, जैसा भी मामला हो, या वह उसे दी गई सूचना से संतुष्ट नहीं है, तो वह प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है जो लोक सूचना अधिकारी से विरष्ठ रैंक का अधिकारी होता है। ऐसी अपील, सूचना आपूर्ति की 30 दिनों की सीमा समाप्त होने की तिथि से या लोक सूचना अधिकारी की सूचना या निर्णय प्राप्त होने की तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर दायर की जानी चाहिए। लोक प्राधिकरण का अपीलीय प्राधिकारी अपील की प्राप्ति के तीस दिनों की अवधि के भीतर या असाधारण मामलों में 45 दिनों के भीतर अपील का निपटारा करेगा।

प्रश्न 12. क्या आर.टी.आई. अधिनियम के अंतर्गत द्वितीय अपील की कोई ग्ंजाइश है?

यदि प्रथम अपीलीय प्राधिकारी निर्धारित अविध के भीतर अपील पर आदेश पारित करने में विफल रहता है या यदि अपीलकर्ता प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के आदेश से संतुष्ट नहीं है, तो वह प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिए जाने की तिथि या अपीलकर्ता द्वारा वास्तव में प्राप्त किए जाने की तिथि से 90 दिनों के भीतर केन्द्रीय सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील कर सकता है।

प्रश्न 13. क्या इस अधिनियम के तहत शिकायत की जा सकती है? यदि हाँ, तो किन शर्तों के तहत?

यदि कोई व्यक्ति किसी लोक सूचना अधिकारी को अनुरोध प्रस्तुत करने में असमर्थ है, तो या तो इस कारण से कि संबंधित लोक प्राधिकारी द्वारा ऐसा अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया है; या लोक सूचना अधिकारी ने उसके आवेदन या अपील को अपीलीय प्राधिकारी को अग्रेषित करने से इनकार कर दिया है, जैसा भी मामला हो; या उसे आर.टी.आई. अधिनियम के तहत उसके द्वारा मांगी गई किसी भी सूचना तक पहुंच से इनकार कर दिया गया है; या उसे अधिनियम में निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर सूचना के लिए अनुरोध का जवाब नहीं दिया गया है; या उसे शुल्क की एक राशि का भुगतान करने की आवश्यकता है जिसे वह अनुचित मानता है; या वह मानता है कि उसे अपूर्ण, भ्रामक या गलत जानकारी दी गई है, तो वह सूचना आयोग को शिकायत कर सकता है।

प्रश्न 14. तृतीय पक्ष सूचना क्या है?

अधिनियम के संबंध में तीसरे पक्ष का अर्थ है सूचना के लिए अनुरोध करने वाले नागरिक के अलावा कोई अन्य व्यक्ति। तीसरे पक्ष की परिभाषा में वह सार्वजनिक प्राधिकरण शामिल है, जिससे अन्रोध किया गया है।

प्रश्न 15. सूचना प्राप्त करने की विधि क्या है?

जो नागरिक अधिनियम के तहत कोई सूचना प्राप्त करना चाहता है, उसे संबंधित लोक प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी को अंग्रेजी या हिंदी में या जिस क्षेत्र में आवेदन किया जा रहा है, उसकी आधिकारिक भाषा में लिखित रूप में आवेदन करना चाहिए। आवेदन सटीक और विशिष्ट होना चाहिए। उसे आवेदन जमा करते समय शुल्क नियमों में निर्धारित शुल्क का भ्गतान करना चाहिए।

प्रश्न 16. क्या कोई संगठन/संगठन आर.टी.आई. अधिनियम के तहत सूचना देने से छूट प्राप्त है?

हां, द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट कुछ खुफिया और सुरक्षा संगठनों को भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों से संबंधित जानकारी को छोड़कर सूचना प्रदान करने से छूट दी गई है। सौजन्य - कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 पर मार्गदर्शिका।